न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 13/2025

जी.सी.एम.एस. : 2025/135

अपीलान्ट–	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट–**
कुशालसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धनला, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर सिंह कुम्पावत।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 18/09/2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 10/2024 सरकार बनाम कुशालसिंह में पारित आदेश दिनांक 17.03.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का धनला की रिपोर्ट दिनांक 31.07.2024 के आधार पर मौजा धनला के खसरा संख्या 70 रकबा 0.0240 हैक्टेयर भूमि अतिचार करने के सम्बन्ध में 91 एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये। जैर आराजी से चिपते हुये खसरे संख्या 2445/51 के खातेदार रेणु कंवर को जैर अपील में पक्षकार बनाये बिना ही राजनैतिक प्रभाव में आकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलाण्ट के रिश्तेदार रेणु कंवर की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2445/51 में फार्म हाउस स्थित हैं, जो कि लगभग 12–13 वर्ष पुराना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जोधपुर, सरदार समन्द, मारवाड़ जंक्शन, धनला स्टेट हाईवे, जैतपुरा, देवली, मुकनपुरा, जाणुदा, धनला कोटड़ी, जोजावर भाग चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया गया एवं सड़क निर्माण के दौरान पूर्व से निर्मित सड़क से 50 सेटीमीटर की उंचाई में निर्माण कार्य करवाया गया, जिससे कोरपुरा की तरफ से आने वाला वर्षा का पानी सडक के पास खेतों में फैलता है। खसरा संख्या 70 के सम्बन्ध में सिविल वाद भी विचाराधीन है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों एवं दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

पारित किया है। अतः विधिविरूद्ध तरीके से पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का धनला की रिपोर्ट दिनांक 31.07.2024 के आधार पर खसरा संख्या 70 रकबा 0.0240 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता में अपीलाण्ट कुशालसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत सा.देह ने सम्वत् 2081 में बांस की झोपड़ी मय रेस्टोरेन्ट और तारबन्धी कर रखी है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुये की गई है। अतः उक्त आदेश विधि संगत होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 10/2024 सरकार बनाम कुशालसिंह में पारित आदेश दिनांक 17.03.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का धनला ने अपीलाण्ट द्वारा खसरा संख्या 70 रकबा 0.0240 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा बांस की झोपड़ी मय रेस्टोरेन्ट और तारबन्दी कर अतिक्रमण किये जाने बाबत् टी.पी रिपोर्ट तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया। 91 एल.आर.एक्ट के अधीन नोटिस प्रारूप 'क' में अपीलाण्ट कुशालसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी धनला को दिनांक 01.08.2024 को नोटिस जारी किया गया, जो मातहत अदालत की आदेशिका से स्पष्ट है। नोटिस में स्पष्ट उल्लेखित है कि 'आप दिनांक 12.08.2024 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या प्लिडर द्वारा दिनांक 12.08.2024 को तहसील कार्यालय मारवाड़ जंक्शन में 10:00 पूर्वान्ह हाजिर होवे तथा यह स्पष्ट करे कि आपको यहाँ से बेदखल क्यों न दिया जावे।' जो कि आदेशिका दिनांक 12.08.2024 के अनुसार अदम तामिल प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् आदेशिका दिनांक 24.12.2024 के अनुसार अपीलाण्ट को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त तथा अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर सिंह ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा जो कि दिया गया। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 07.03.2025 के अनुसार अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया जिस पर दिनांक 10.03.2025 को बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2025 को प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गई। प्रकरण के तथ्यों को अगर देखे तो अपीलाण्ट को नोटिस दिनांक 24.12.2024 को तामिल होने के पश्चात् मातहत न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2025 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह कहना कि उन्हें साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया, उचित प्रतीत नहीं होता। मातहत अदालत की आदेशिकाओ में यह स्पष्ट अंकित है कि अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, जिन्होनें जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया। उपरोक्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 91 एल.आर.एक्ट. का नोटिस निर्धारित प्रारूप में विधिनुसार, विधिवत तरीके से जारी किया गया तथा अप्रार्थी को जवाब एवं साक्ष्य सबुत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त जैर अपील आदेश पारित किया, जो विधि सम्मत है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि ज़ैर आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय मारवाड़ जंक्शन में सुखाधिकार की घोषणा, स्थाई व्यादेश एवं आज्ञात्मक व्यादेश का वाद विचाराधीन होने के उपरान्त भी अपीलाधीन आदेश राजनैतिक दवाब से पारित किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट के इन कथनों के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाते है कि पटवारी हल्का धनला की रिपोर्ट के अनुसार जैर आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा पाया गया। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा जैर आराजी के सम्बन्ध में कोई स्थगन आदेश जारी हो रखा हो ऐसे भी कोई तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गै.मु. रास्ते की भूमि सरकारी भूमि होती है और सार्वजनिक उपयोग के लिए होती हैं। इस पर अतिक्रमण करना न केवल अवैध है, बल्कि यह सार्वजनिक हित के भी विरूद्ध है। उक्त भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में होती है और जनता के आम उपयोग के लिए होती हैं। इन पर कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ से कब्जा नहीं कर सकता। ऐसा करना लोक व्यवस्था और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त Municipal Corporation of Greater Mumbai vs Kamla Mills Ltd. में यह स्पष्ट किया कि Public ways are meant for the public at large. Encroachment on such land deprives the public of its right and needs to be dealt with strictly. इसी तरह 2019 आर.आर.डी. धरमा बनाम स्टेट आफ॑ राजस्थान के मामले में तहसीलदार द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध बेदखली का आदेश दिया गया। राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी भी खारिज कर दी गई। पुनः कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने पर भी बेदखली का आदेश दिया गया। तहसीलदार के बेदखली के आदेश को विधिमान्य ठहराया गया क्योंकि (I) वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, (II) प्रार्थीगण का स्वत्व नहीं था तथा भूमि का नामान्तरण अकृत था। जो कि हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर हूबहू चस्पा होती है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णायों में यह स्पष्ट किया है कि ग्राम मार्ग या सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण केवल अवैध ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के विरूद्ध हैं, क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इसके अतिरिक्त ग्राम धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 70 रकबा 1.8211 हैक्टैयर किस्म गै.मु.रास्ता की भूमि पर राजस्व रेकर्ड में राजकीय खाते में दर्ज है तथा मातहत न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 17.03.2025 के द्वारा अपीलाण्ट कुशालसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी धनला को खसरा संख्या 70 पर अतिक्रमी घोषित कर उक्त आराजी पर अवैध कब्जा करने पर बतौर लगान शास्ति के वार्षिक लगान का 50 गुणा अनुसार रूपये 50 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये। जैर अपील आराजी की किस्म गै.मु.रास्ता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 3109/2011

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की मंशा भी राजकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करना है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 10/2024 सरकार बनाम कुशालसिंह में पारित आदेश दिनांक 17.03.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली